

## सूचना/ NOTICE

अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, श्रेणी बी और सी (मामूली और बड़ी मरम्मत) के तहत आवंटित फ्लैटों का नवीनीकरण अगले तीन महीनों तक या व्यवस्था होने तक, जो भी पहले हो, नहीं किया जा सका है। श्रेणी बी और सी में फ्लैट आवंटित किए गए आवंटियों को टीटीएम/रखरखाव इकाई के संबंधित ईआईसी से परामर्श करके फ्लैट का दौरा करने और उसे "जैसा है, जहां है" की स्थिति में रहने के लिए अपनी स्पष्ट सहमति देने की अनुमति है, ताकि उनकी लिखित सहमति के अनुसार आवंटन पर विचार किया जा सके।


Due to unavoidable circumstances the flats allotted under category B and C (minor and major repairs) could not be taken up for renovation for the next three months or till the arrangement is made whichever is earliest. The allottees who have been allotted flats in B and C category can visit the flat in consultation with concerned EIC of TTM / Maintenance Unit and express their specific consent for occupying it "as is where conditions" so that the same can be considered for allotment as per their consent in writing.

फ्लैट में रहने की व्यवस्था हो जाने के बाद नवीनीकरण (पेंटिंग और अन्य काम) का कार्य शुरू किया जाएगा।

The renovation (painting and other work) will be taken up subsequently after the occupation of the flat.

यह मामला इस निदेशालय में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।

This issues with the approval of Competent Authority in this Directorate.



(एस.एस. गोंडाणे/ S.S. Gondane)

(मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/Chief Administrative Officer)